रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042020-219221
CG-DL-E-29042020-219221

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1246] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 2020/वैशाख 9, 1942
No. 1246] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 2020/VAISAKHA 9, 1942

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2020

का.आ. 1394(अ).— सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फ़ायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) की केंद्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना (जिसे इसमें इसके पश्चात योजना कहा गया है) के औषधीय पादप घटक के उद्देश्य के अधीन किसानों को उनकी अपनी जमीन पर औषधीय पादपों के खेतीकरण के लिए सहायकी प्रदान करना है । यह योजना राज्य आयुष सोसायटी द्वारा राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न एजेंसियों अर्थात् राज्य बागवानी विभाग या कृषि विभागों या राज्य औषधीय पादप बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य नाम निर्दिष्ट कार्यान्वयन एजेंसी (जिसे इसमें इसके पश्चात् एजेंसी कहा गया है) द्वारा कार्यान्वित की जाती है;

और, इस योजना के अधीन, किसानों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को सहायकी (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) दी जाती है, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर चयनित पादपों की प्रजातियों के लागत मानदंड के अनुसार और वर्तमान योजना मार्गदर्शक सिद्धांतानुसार प्रदान की जाती है;

और, उपरोक्त योजना में भारत के समेकित कोष से होने वाला गैर-आवर्ती व्यय सम्मिलित है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहयिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षियत परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. (1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन कराए;

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के हक़दार हैं और ऐसे व्यक्ति किसी भी आधार नामांकन केंद्र (केन्द्रों की सूची यूआईडीएआई की बेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर आधार नामांकन के लिए जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से राज्य आयुष सोसाइटी को फायदाग्राहियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नहीं हुए हैं, उनके आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं हो तो कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से राज्य आयुष सोसाइटी यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएँ उपलब्ध कराएगी :

परन्तु योजना के अधीन किसी व्यक्ति को आधार सौंप दिए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रसुविधा दी जाएंगी, अर्थात्:—

(क) यदि वह नामांकित हो गया हो, उसके पास आधार नामांकन प्रमाणीकरण की पर्ची हो; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक हो, अर्थात्:-

(i) बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी तहसीलदार या किसी कार्यालय के अधिकारिक शीर्षपत्र पर जारी किसी ऐसे व्यक्ति का फोटोसहित पहचान प्रमाणपत्र; या

(x) मंत्रालय या राज्य आयुष सोसायटी द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु आगे यह कि उपर्युक्त दस्तावेज को विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए राज्य आयुष सोसायटी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी द्वारा जांचा जाएगा।

2. योजना के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधा प्रदान करने के लिए, राज्य आयुष सोसायटी अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगी और योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति फायदाग्राहियों को जागरुक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां आधार अधिप्रमाणन फायदाग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से असफल रहता है, वहाँ तंत्र का प्रबंध करने वाले निम्नलिखित अपवाद अपनाया जाएगा, अर्थात्:-

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे राज्य आयुष सोसायटी अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, आईरिस स्कैनर्स या चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए प्रावधान करेगी जिससे निर्बाध रीति से प्रसुविधा प्राप्त हो सके;

(ख) अंगुली छाप के माध्यम से बायोमेट्रिक्स अधिप्रमाणन या आईआरआईएस या चेहरा अधिप्रमाणन के सफल न होने की दशा में, जहां कहीं साध्य और ग्राह्य हो, वहां, यथास्थिति, सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है वहाँ योजना के अधीन प्रसुविधायें भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं, जिनकी अधिप्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित कोड से त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर का आवश्यक प्रबंध राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा;

4. उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के अधीन कोई भी फायदाग्राही अपने देय प्रसुविधायों से वंचित नहीं है, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के कार्यालय ज्ञापन (डीबीटी) मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार, तारीख 19 दिसंबर, 2017 में उल्लिखित अपवाद संचालन तंत्र का पालन करेगा।

5. यह अधिसूचना असम और मेघालय राज्यों के सिवाय, अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. जेड 18020/52/2019-एनएमपीबी-II]

रोशन जग्गी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2020

S.O. 1394(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of AYUSH, Government of India (*hereinafter referred to as the Ministry*), is administering the Medicinal Plants component under the Centrally Sponsored Scheme of National AYUSH Mission (*hereinafter referred to as the Scheme*) with the objective to provide subsidy to the farmers for cultivation of medicinal plants on their own land and the scheme is implemented by the State AYUSH Society

under the State Governments through various agencies namely State Horticulture Department or Agriculture Departments or State Medicinal Plants Board or any other designated implementing agency by the State Government (*hereinafter referred to as the Implementing Agencies*);

And whereas, under the Scheme, subsidy (*hereinafter referred to as the benefit*) is paid to the farmers (*hereinafter referred to as the beneficiaries*), as per the cost norm of selected plant species per hectare per year by the Implementing Agencies and as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves non-recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment provided he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the State AYUSH Society through its Implementing Agencies is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case, there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the State AYUSH Society through the Implementing Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:–

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) any one of the following documents, namely:-

(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Voter Identity Card; or

(vi) MGNREGA card; or

(vii) Kisan Photo passbook; or

(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x) Any other document as specified by the Ministry or the State AYUSH Society:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the State AYUSH Society for that purpose.

2. In order to provide benefits to beneficiaries under the scheme conveniently, the State AYUSH Society through its Implementing Agencies shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the State AYUSH Society through its Implementing Agencies, shall make

provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible, authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (TOPTP) with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the State AYUSH Society through its Implementing Agencies in states.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer (DBT) Mission, Cabinet Secretariat, Government of India, dated the 19th December, 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory administrations, except the States of Assam and Meghalaya.

[F.No. Z-18020/52/2019-NMPB-II]

ROSHAN JAGGI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.04.29 19:04:40 +05'30'